रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 ई० (आश्विन 05, 1947 शक संवत्) [संख्या 39

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	517–526	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	997–1004	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	461–478	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1503-1546	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

09 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I/847025/2025–उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड, वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,700/- यथासंशोधित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों लेवल-5 (अपर निदेशक ग्रेड वेतनमान रु0 37,400-67,000/- ग्रेड पे-8,900/- यथासंशोधित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वरिष्ठता क्रमांक
1	2	3
1	डा0 वीर सिंह	9115
2	डा0 जयन्त कुमार	9123
3	डा0 अश्वनी कुमार	9127
4	डा0 रामा नन्द	9132

2– उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

18 जनवरी, 2025 ई0

सं0 I/855183/2025–कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के सोसायटी बायलॉज की धारा–27 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 मदन लाल ब्रहा भट्ट को नियत वेतनमान पे0 मैट्रिक्स–लेवल 17 रु0 2,25,000/– तथा एन0पी0ए0 (नियमानुसार देय) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष के लिए निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– सेवानिवृत्त/पेंशनधारक होने की स्थिति में डा0 मदन लाल ब्रहा भट्ट का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 के अनुसार किया जायेगा।

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

27 जनवरी, 2025 ई0

सं0 225/पाँच-3-2025–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल सर्जन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-225/पाँच-3-2025, दिनांक 27 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00918455000 0009	4	डा0 विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री सूर्य वंश गुप्ता	जनरल सर्जन	UR/ OBC	ग्राम-हंसवापर पो0- सिसहनिया, सिद्धार्थनगर-272152	ग्राम-हंसवापर पो0- सिसहनिया, सिद्धार्थनगर-272152	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सन्तकबीर नगर

सं0 226/पाँच-3-2025–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पब्लिक हेल्थ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्रावृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-226/पाँच-3-2025, दिनांक 27 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	009197550000005	5	डा0 विज्ञा पुत्री श्री बिश्वनाथ प्रसाद	पब्लिक हेल्थ	UR/ OBC / FEM	अमरा चौराहा, अवलेशपुर वृन्दावन रोड जीवर हास्पिटल के पास कन्डवा, वाराणसी-221106	अमरा चौराहा, अवलेशपुर वृन्दावन रोड जीवर हास्पिटल के पास कन्डवा, वाराणसी-221106	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर

सं0 227/पाँच-3-2025–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-227/पाँच-3-2025, दिनांक 27 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0091575500 00241		डा0 दीपिका रावत पुत्री श्री राजा राम रावत	पैथालॉजिस्ट	UR/ SC /FEM	ग्राम-नई बस्ती ढनेवा, मलिहाबाद, लखनऊ-226102	ग्राम-नई बस्ती ढनेवा, मलिहाबाद, लखनऊ-226102	जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़

सं0 228/पाँच-3-2025–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्रागवृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-228/पाँच-3-2025, दिनांक 27 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00918855000 0061	7	डा0 पूजा मिश्रा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा	नेत्ररोग	UR/ GEN /FEM	766 एच0 गनेशपुरम् राप्ती, गोरखपुर-273003	766 एच0 गनेशपुरम् राप्ती, गोरखपुर-273003	डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ

सं0 229/पाँच-3-2025–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-

39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होगें तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-229/पाँच-3-2025, दिनांक 27 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00920155000 0005	1	डा0 अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री लोकपाल सिंह	जनरल फिजिशियन	UR/ OBC	बी-264, बी0जी0एच0ए0 विला टाईप पैरामांऊट गोल्फ फोर स्टेट, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 सूरज पुर साईट सी, ग्रेटर नोयडा गौतमबुद्धनगर-201013	बी-264, बी0जी0एच0ए0 विला टाईप पैरामांऊट गोल्फ फोर स्टेट, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 सूरज पुर साईट सी, ग्रेटर नोयडा गौतमबुद्धनगर-201013	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—26 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 ई० (आश्विन 05, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

September 13, 2024

No. 1913/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Ajay Krishna, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Authority, Lucknow is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Etawah.

No. 1914/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Mahendra Nath, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South) is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Hardoi.

No. 1915/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Khaliquzzama, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sonbhadra is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Muzaffarnagar.

No. 1916/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Devendra Singh-II, Principal Judge, Family Court, Mahoba is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Saharanpur.

No. 1917/Admin. (Services)/2024–Smt. Sunita Singh Nagore, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Ajay Kumar-I.

No. 1918/Admin. (Services)/2024–Sri Ajay Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh *vice* Smt. Sneh singh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pratapgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1919/Admin. (Services)/2024–Smt. Sneh Lata Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, ,Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1920/Admin. (Services)/2024–Sri Babu Ram, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Har Vindra Singh.

No. 1921/Admin. (Services)/2024–Sri Har Vindra Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1922/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Ahsanullah Khan, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Azamgarh.

No 1923/Admin. (Services)/2024–Sri Janardan Prasad Yadav, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women *vice* Sri Mithilesh Kumar Tiwari.

No. 1924/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 28/2024/793/Saat-Nyay-2-2024-58G/2001, dated 06.09.2024, Sri Mithilesh Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau is appointed/posted as Additional Principal Judge, Family Court, Mau.

No. 1925/Admin. (Services)/2024–Sri Tabrez Ahmed, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.–U.P.S.E.B.) Bareilly *vice* Sri Gagan Kumar Bharti.

No. 1926/Admin. (Services)/2024–Sri Gagan Kumar Bharti, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 1927/Admin. (Services)/2024–Sri Vivek Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahr *vice* Sri Chandra Vijay Srinet.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahr against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1928/Admin. (Services)/2024–Sri Chandra Vijay Srinet, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1929/Admin. (Services)/2024–Smt. Shailja Rathi, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Azamgarh in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

September 18, 2024

No. 1930/Admin. (Services)/2024–Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 806/II-4-2024 dated 10.09.2024, Sri Shiv Kumar Yadav S/o Sri Santar Pal Yadav, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras.

No. 1931/Admin. (Services)/2024–Sri Priyanshu Shailat, Additional Civil Judge (Junior Division), Kasganj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda.

No. 1932/Admin. (Services)/2024–Sushri Aditi Garg, Additional Civil Judge (Junior Division), Kasganj to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj *vice* Sushri Shalini Singh-II.

No. 1933/Admin. (Services)/2024–Sushri Shalini Singh-II, 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj

is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kasganj *vice* Smt. Mahima Chaudhary.

No. 1934/Admin. (Services)/2024–Smt. Mahima Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Kasganj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda.

September 21, 2024

No. 1935/Admin. (Services)/2024–Sri Ram Lal-II, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor *vice* Smt. Shaila.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bijnor against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1936/Admin. (Services)/2024–Smt. Shaila, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No.1937/Admin. (Services)/2024–Smt. Ekta Verma, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur *vice* Sri Jalal Mohd Akbar,

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sultanpur against the special court created for trying cases under the said Act,

No. 1938/Admin. (Services)/2024–Sri Jalal Mohd Akbar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sultanpur for trying cases of crime against women.

September 24, 2024

No. 1939/Admin. (Services)/2024–Sri Utkarsh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah *vice* Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1940/Admin. (Services)/2024–Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah *vice* Sri Ali Raja.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1941/Admin. (Services)/2024–Sri Ali Raja, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Veer Bhadra.

No. 1942/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Govt. O.M. No. 824/DO-4-2024 dated 24.09.2024, Sri Veer Bhadra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah is appointed/posted as Secretary, Uttar Pradesh State Law Commission, Lucknow.

No. 1943/Admin. (Services)/2024–Smt. Kriti Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Sri Gajendra Singh.

She is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Aligarh.

No. 1944/Admin. (Services)/2024–Sri Gajendra Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Civil Judge (Senior Division), Aligarh *vice* Sri Prashant Shukla.

No. 1945/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Office Memorandum No. 824/DO-4-2024 dated 24.09.2024, Sri Prashant Shukla, Civil Judge (Senior Division), Aligarh is appointed/posted as Competent Officer, Evacuee Property, Board of Revenue, U.P., Lucknow on deputation basis.

September 25, 2024

No. 1946/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Kamleshwar Pandey, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Bareilly.

No. 1947/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Siddharth Singh, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur.

No. 1948/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Omkar Shukla, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 3 (Prevention of Corruption Act), Gorakhpur.

No. 1949/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Atul Singh, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 6 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 1950/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Ashish Kumar Chaurasia, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 7 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 1951/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Niraj Kumar Baranwal, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 8 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 1952/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Awadhesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Varanasi.

No. 1953/Admin. (Services)/2024–Sri Vinod Kumar-VI, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Varanasi *vice* Sri Shailender Singh.

No. 1954/Admin. (Services)/2024–Sri Shailender Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1955/Admin. (Services)/2024–Sri Manoj Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi *vice* Sri Abhay Krishna Tiwari.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions)Act, 1981, as Special Judge at Varanasi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1956/Admin. (Services)/2024–Sri Abhay Krishna Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1957/Admin. (Services)/2024–Sri Dev Kant Shukla, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi for trying cases U/s

14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Anil Kumar-V.

No. 1958/Admin. (Services)/2024–Sri Anil Kumar-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1959/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. 1864/VI-P-9-2024 dated 13.09.2024, Sri Ravindra Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 4 (Prevention of Corruption Act), Varanasi.

No. 1960/Admin. (Services)/2024–Sri Govind Mohan, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Gorakhpur *vice* Sri Vijaya Bahadur Yadava.

No. 1961/Admin. (Services)/2024–Sri Vijaya Bahadur Yadava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gorakhpur *vice* Sri Ravindra Kumar-III.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gorakhpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1962/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 817/II-4-2024 dated 25.09.2024, Sri Ravindra Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur is ppointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Legislative), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 1963/Admin. (Services)/2024–Sri Anil Kumar-VIII, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri *vice* Smt. Pratibha Narayan.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lakhimpur Kheri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1964/Admin. (Services)/2024–Smt. Pratibha Narayan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 1965/Admin. (Services)/2024–Sri Ghulam Mustafa, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Subhash Singh.

No. 1966/Admin. (Services)/2024–Sri Subhash Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 1967/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 817/II-4-2024 dated 25.09.2024, Km. Parul Jain, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri is appointed/posted as Registrar, Uttar Pradesh State Public Service Tribunal, Lucknow on deputation basis.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

03 जुलाई, 2025 ई0

सं0 2738/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ग्रेटर नोएडा/गौतमबुद्धनगर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 60 मीटर चौड़ी रोड के मध्य एवं संस्थागत हेतु नियोजित भूमि के अनतर्गत आ रही एलजी चौक हिण्डन ब्रिज से होकर नोएडा जाने के मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर की राय है, कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 60 मीटर चौड़ी रोड के मध्य एवं संस्थागत हेतु नियोजित भूमि के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम नामौली, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 19.8060 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2– सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या-2429 दिनांक 29 मई, 2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 60 मीटर चौड़ी रोड के मध्य एवं संस्थागत हेतु नियोजित भूमि के अन्तर्गत आ रही एलजी चौक हिण्डन ब्रिज से होकर नोएडा जाने के मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम नामौली की कुल 19.8060 हे0 भूमि की (Absolute bare minimum) न्यूनतम आवश्यकता बतायी गयी है। इससे कम सीमा तक परियोजना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

4– भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

5– उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनाँक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

6– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	नामौली	74	0.6110
				76	2.8040
				77	1.5070
				78	0.0250
				79	0.2530
				80	5.5190
				81	1.9630
				84	1.0470
				87	3.0000
				143	2.5180
				147	0.2360
				76/200	0.3230
				योग–	**19.8060**

7– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

8– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजेश कुमार,
कलेक्टर,
भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद

कार्यालय आदेश

08 जनवरी, 2025 ई0

सं0 19/सा०प्र०/का०आ०/2025–दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में उत्तराखण्ड से आवागमन से संबंधित मार्ग दलपतपुर–वीरपुर– करणपुर–डूंगरपुर चौराहा–अलीगंज–नेफा बॉर्डर पर भारी वाहन (ट्रक,

डंपर इत्यादि) अत्यधिक गति से चलने के सम्बध में चर्चा की गयी। उक्त ओवरस्पीड वाहनों से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) मुरादाबाद के अनुरोध पर प्रश्नगत मांर्ग पर भारी वाहनों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उक्त मार्ग पर पड़ने वाले आबादी वाले क्षेत्र में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के अध्याय ''8'' के अंतर्गत नियम ''178'' में निम्नांकित प्राविधान है–

''(178) मोटर यान के प्रयोग और गति पर निबंधन किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी वर्ग या वर्गों से मोटरयानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां से ये लागू होते हैं, सूचना पटटों के माध्यम से प्रकाशित किये जाएंगे।''

अतः मैं आन्जनेय सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद उपरोक्त नियम 178 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद मुरादाबाद के उत्तराखण्ड से आवागमन से संबंधित मार्ग दलपतपुर–वीरपुर–करणपुर–डूंगरपुर चौराहा–अलीगंज–नेफा बॉर्डर पर भारी वाहन (ट्रक, डंपर इत्यादि) की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उक्त मार्ग पर पड़ने वाले आबादी वाले क्षेत्र में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करता हूं एवं यह निर्देश निर्गत करता हूं कि जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमागों तथा राज्य मार्गों के संदर्भित स्थान, मार्ग या उसके निकट जहां से यह लागू होते हैं, पर सूचना पटटों के मध्यम से उक्त आदेश को प्रकाशित किया जाए।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आन्जनेय सिंह),
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) मुरादाबाद।

कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

30 अगस्त, 2023 ई0

सं0 एम–1416(1 से 10 तक)–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश सं0 आई/377620/2023 फाइल नम्बर-10-25001(002)/1/2022-4- दिनांक 29 अगस्त, 2023 तथा शुद्धि-पत्र संख्या आई/378577/2023 फाइल नम्बर-10-25001(002)/1/2022-4- दिनांक 30 अगस्त, 2023 के अनुपालन में लेखा परीक्षा संवर्ग के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से प्रोन्नति के पद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह ''ख'' वेतन मैट्रिक्स लेवल–10, वेतनमान रुपये 56,100–1,77,500) के पद पर शासन के निर्देशानुसार कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आज 30 अगस्त, 2023 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

कड़ेदीन
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 ई० (आश्विन 05, 1947 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

16 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 मा0शि0प0/परिषद–9/667–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1035/पन्द्रह–7–2025–1(29)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 09 सितम्बर, 2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 1254/15–7–2025–1(29)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–316/पन्द्रह–7–2025–1(29)/2019 दिनांक 22.04.2025 जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता (हाईस्कूल सहायक अध्यापक की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट 'क' से परिशिष्ट 'ग' में स्थापित किया गया है तथा इण्टरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट 'क' से परिशिष्ट 'घ' में स्थापित किया गया है) को निरस्त करते हुए अशासकीय मान्यता/सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 **के** अध्याय–दो के विनियम–1 के परिशिष्ट 'क' में स्थापित किये जाने हेतु हाईस्कूल सहायक अध्याापक एवं इण्टरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु विषयवार शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत् निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है :–

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें

परिशिष्ट–'क'

हाईस्कूल (सहायक अध्यापक) की शैक्षिक अर्हता

क्र0 सं0	पदनाम/विषय	शासनादेश संख्या–316/पन्द्रह–7–2025–1(29)/2019 दिनांक 22 अप्रैल, 2025 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता।	संशोधित शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4
1	हिन्दी सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद् की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा परिषद् की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2	उर्दू सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3	अंग्रेजी सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4	संस्कृत सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
5	अरबी सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में अरबी के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में अरबी के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
6	पाली सहायक अध्यापक (पुरूष/ महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पाली विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पाली विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
7	पंजाबी, सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पंजाबी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पंजाबी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
8	फारसी सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में फारसी के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में फारसी के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
9	बंगला, सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बंगला विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बंगला विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
10	मराठी सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मराठी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मराठी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
11	सिंधी सहायक अध्यापक (पुरूष/ महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिंन्धी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिंन्धी विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
12	सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) गुजराती, असमी, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, तमिल, तेलगू एवं मलयालम हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सम्बन्धित विषय में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
13	गणित सहायक अध्यापक (पुरूष/ महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
14	गृह विज्ञान सहायक अध्यापक (पुरूष/ महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
15	सामाजिक विज्ञान, सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास, भूगोल, राजनीतिविज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इतिहास, भूगोल, राजनीतिविज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
16	संगीत (गायन/वादन) सहायक अध्यापक (पुरूष/ महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि।'' अथवा भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि। टिप्पणी–संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिन्दु आवंटित नहीं किये जायेगें। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि।'' अथवा भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि। टिप्पणी–संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिन्दु आवंटित नहीं किये जायेगें। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
17	वाणिज्य सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
18	चित्रकला सहायक अध्यापक (पुरूष / महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललितकला (बी0एफ0ए0) में स्नातक की उपाधि एवं भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि को अधिमानी अर्हता।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललितकला (बी0एफ0ए0) में स्नातक की उपाधि एवं भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि को अधिमानी अर्हता।
19	कृषि सहायक अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि / उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि।' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि / उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि।' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
20	सिलाई सहायक अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
21	रंजन कला सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे–मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजन कलासहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे–मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजन कलासहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा। (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
22	कम्प्यूटर सहायक अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0टेक/ बी0ई0 (कम्प्यूटर विज्ञान में) अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक अथवा कम्प्यूटर अप्लीकेशन में स्नातक अथवा एन0आई0ई0एल0आई0टी0 से ''ए'' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि। अथवा एम0सी0ए0 (कम्प्यूटर अप्लीकेशन में परास्नातक) (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थानसे शिक्षा स्नातक (बी0एड0) उपाधि को अधिमानी अर्हता।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0टेक/ बी0ई0 (कम्प्यूटर विज्ञान में) अथवा कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक अथवा कम्प्यूटर अप्लीकेशन में स्नातक अथवा एन0आई0ई0एल0आई0टी0 से ''ए'' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि। अथवा एम0सी0ए0 (कम्प्यूटर अप्लीकेशन में परास्नातक) (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी0एड0) उपाधि को अधिमानी अर्हता।
23	मानव विज्ञान सहायक अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मानव विज्ञान में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मानव विज्ञान में स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
24	विज्ञान सहायक अध्यापक (पुरूष / महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि । (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि । (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
25	जीव विज्ञान, सहायक अध्यापक (पुरूष / महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	रिक्त	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों अथवा संस्थान से विषय के रूप में जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। (दो) भारत में ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि। **नोट–विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपर्युक्त उपाधिधारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाय।**
26	शारीरिक शिक्षा सहायक अध्यापक (पुरूष / महिला) हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में बी0पी0एड0 अथवा बी0पी0ई0 की उपाधि।	(एक) ''भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि।'' (दो) भारत में एन0सी0टी0ई0, द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में बी0पी0एड0 अथवा बी0पी0ई0 की उपाधि।

इण्टरमीडिएट–प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता

क्र0 सं0	पदनाम/विषय	शासनादेश संख्या–316/पन्द्रह–7–2025–1(29)/2019 दिनांक 22 अप्रैल, 2025 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता।	संशोधित शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4
1	हिन्दी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2	संस्कृत, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3	उर्दू, प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4	अंग्रेजी, प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
5	**अरबी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अरबी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अरबी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
6	**पाली, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से पाली विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से पाली विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
7	**गुजराती, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से गुजराती विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से गुजराती विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
8	**पंजाबी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से पंजाबी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से पंजाबी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
9	**फारसी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फारसी में स्नातकोत्तर उपाधि या कामिल परीक्षा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किया हो। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फारसी में स्नातकोत्तर उपाधि या कामिल परीक्षा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किया हो। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
10	**बंगाली प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से बंगाली विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से बंगाली विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
11	**मराठी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मराठी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मराठी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
12	**सिन्धी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सिन्धी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सिन्धी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
13	**उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, असमी, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
14	**इतिहास,** **प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
15	**भूगोल** **प्रवक्ता इण्टरमीडिएट** **(कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से **भूगोल विषय** में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
16	**नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से नागरिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से **राजनीति विज्ञान/ राजनीति शास्त्र विषय** में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
17	**सैन्य विज्ञान प्रवक्ता, इण्टरमीडियट** **(कक्षा 11–12) के लिये**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
18	**मनोविज्ञान, प्रवक्ता** **इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
19	**शिक्षा शास्त्र, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट** **(कक्षा 11–12) के लिये**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
20	**गृह–विज्ञान, प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0एस0सी0 गृह विज्ञान से स्नातक (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0एस0सी0 गृह विज्ञान से स्नातक। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
21	**अर्थशास्त्र प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
22	**तर्कशास्त्र प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
23	**संगीत गायन प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत (गायन) के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत (गायन) के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
24	**संगीत वादन प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत (वाद्य) के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत (वाद्य) के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
25	**चित्रकला (आलेखन/प्राविधिक) प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एन्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एन्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
26	**समाज शास्त्र प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
27	**काष्ठ शिल्प प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	(क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0, अथवा (ख) इण्टरमीडिएट और (1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में एडवान्स केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा, अथवा (2) राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0। अथवा (ख) इण्टरमीडिएट और (1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में एडवान्स केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा, अथवा (2) राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
28	**ग्रन्थ शिल्प प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ एल0टी0 तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ एल0टी0। तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
29	**सिलाई प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिलाई में दो वर्ष का डिप्लोमा। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिलाई में दो वर्ष का डिप्लोमा। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
30	**रंजन कला प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
31	**नृत्य कला प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये**	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित–– (1) भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा (3) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद् (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 केनवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित–– (1) भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा (3) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद् (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद। तथा ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
32	**मानव विज्ञान प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
33	**गणित प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2)''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
34	**भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से भौतिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से भौतिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
35	**रसायन विज्ञान प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से रसायन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से रसायन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
36	**जीव विज्ञान प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तुविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तुविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

1	2	3	4
37	**कम्प्यूटर प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0टेक0/एम0ई0 (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी)/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान/एम0सी0एस0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन/मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (MCA) विषय में स्नातकोत्तर। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0टेक0/ एम0ई0 (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी)/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान/ एम0सी0एस0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (MCA) विषय में स्नातकोत्तर। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
38	**वाणिज्य प्रवक्ता– इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
39	**कृषि प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए– (शस्य विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान)**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
40	**कृषि अर्थशास्त्र, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) कृषि भौतिक विज्ञान, कृषि गणित प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए–**	इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगीं जो मुख्य विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है।	इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगीं जो मुख्य विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है।

1	2	3	4
41	**कृषि अभियन्त्रण प्रवक्ता इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । (2) ''एन0सी0टी0ई0'' द्वारा मान्यता प्राप्त पाठयक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
42	**शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक (2) व्यायाम शिक्षा में एम0पी0एड0।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक। (2) व्यायाम शिक्षा में एम0पी0एड0।
नोटः– इण्टरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु पदोन्नति (सहायक अध्यापक से प्रवक्ता) के प्रकरणों पर निर्धारित विषयवार शैक्षिक अर्हता में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) अथवा एल0टी0 प्रशिक्षण मान्य होगा।			

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 4–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–26 मा0शि0प0–26.09.2025–2,500 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 ई० (आश्विन 05, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उपविधि

07 जुलाई, 2025 ई0

सं0 405 / न0पा0प0आ0 / 2025-26–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया है जिसे दैनिक राष्ट्रीय समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' एवं दैनिक क्षेत्रीय समाचार-पत्र ''आज'' के दिनांक 01 नवम्बर, 2024 दिन रविवार के अंक में आजमगढ़ नगर सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनमानस से आपत्तियॉ एवं सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशित कराया गया। दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 तक निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये तद्उपरान्त नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2025 को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत्ति से राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ स्वीकृति प्रदान की गयी। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में प्रभावी होगी।

प्राधिकार– ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है–

(क)– उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019

(ख)– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की राष्ट्रीयनीति, 2017

(ग)– सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन 2013

(घ)– मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ)– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013

(च)– आईएसकोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(छ)– केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज)– जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ)– उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)–

ये उपविधि नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ भवनों पर लागू होगा।

अध्याय–I

प्रारंभिक–

1– संक्षेप– शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(I)–इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 2024 कहा जा सकता है।

(II)–ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2–परिभाषा–

''एक्सेस कवर'' का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बन्द किया हो।

''अपेलेट बॉडी'' निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिलकर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का सम्बोधन करना है।

''फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट'' उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

''को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी'' का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

''विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली'' का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

''नियुक्त अधिकारी'' निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

''डी-स्लजिंग'' का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया

''निस्तारण'' का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन

''एफ़्लूयंट'' का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)

''फीकल स्लज एवं सेप्टेज'' का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑन साइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री

''फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)'' का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

''ग्रे वाटर'' का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

''होस्ट यूएलबी'' का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा।

''ईनसैनिटरी लेट्रिन्स'' का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल-कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

''लाइसेंस'' का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

''लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर'' (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

''अधिसूचित स्थान'' का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

''ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)'' ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधायें हो सकती हैं।

''ऑपरेटर'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

''मालिक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

''व्यक्ति'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं

''सैनिटरी लेट्रिन्स'' का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशा निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

''सेप्टिक टैंक'' भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएसकोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। **''शेड्यूल्ड डीस्लजिंग''** का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

''सेप्टेज'' का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

''सीवेज'' का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

''सीवर'' वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

''सीवेज पम्पिंग स्टेशन'' का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पम्प-हाउस का भण्डारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पम्प करके भेजा जाता है।

''सीवेज उपचार संयंत्र'' का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल-जल का उपचार किया जाता है।

''निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी'' का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबन्धित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

''परिवहन या ढुलाई'' का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

''उपचार'' का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल-जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

''उपचार सुविधा'' का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

''यूएलबी क्लस्टर'' का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

''निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक'' का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

''निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)'' ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पम्प और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

''अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर'' का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

''कर्मी'' का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल-जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय–II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3– परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

I– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें।

II– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

III– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

IV– वे परिपत्तियाँ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से अधिक होंगा। तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय–III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– मालिक या अभिग्राही के कर्त्तव्य और अनुपालन– निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे–

I– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बन्द कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बन्द कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

I– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय -समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

II– ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

III– परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

IV– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

V– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

VI– नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबन्धन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

VII– नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय–IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

I– नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

II– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

III– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

IV– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

V– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

I– लाइसेंस हासिल करने के पात्र-आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (XXI) में परिभाषित व्यक्ति से होगा।

II– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डीस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

III– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

IV– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के साथ पंजीकृत करेगा।

V– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिए गए मानदण्डों को पूरा करते हैं।

VI– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

VII– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– लाइसेंस के लिए आवेदन–

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10– लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क– नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

I– ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/–

II– पंजीकरण की वैधता– पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 1 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

III– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,500/–

11– लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगा।

अध्याय–V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा–

I– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

II– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

I– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

II– शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा ''शेड्यूल्ड डीस्लजिंग'' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

III– लाइसेंसधारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

IV– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

I– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

II– आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

III– डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

IV– ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ वाहन का पंजीकरण नम्बर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

V– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) Septic Tank Wasts (अंग्रेजी में) और **''मलकुण्ड अपशिष्ट''** (हिंदी में) लिखा होगा।

VI– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार (नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी) और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

I– लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

II– लाइसेंसधारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

III– होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय के अधिकार–

I– निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

II– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

III– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

IV– संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा किया जायेगा।

V– होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे **''उपचार सुविधा''** में निस्तारित किया जा सकता है।

VI– एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि ''होस्ट यूएलबी'' को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सार्वधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

23– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिये और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

24– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

25– लाइसेंस रद्द किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास ऐक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर समय-समय पर

अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का उपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय–VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

26– उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के प्रशिक्षित सफाईकर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जायेगा।

27– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सबन्धित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने के लिए नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जायेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

30– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

31– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

32– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय–VII

प्रशासन और प्रवर्तन

33– प्रशासन और प्रवर्तन–

I– इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

II– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए समय–समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र्फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

III– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

IV– नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

34– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

35– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

I– इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

II– किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

III– इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लिखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्थिति में एफएसएस निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।

IV– जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

V– संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

36– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

37– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

38– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पडने़ पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

39– संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

40– डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

41– उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट–1

(खण्ड 2(XXIII), 3(III) और 5(I) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 भाग 1, 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

1. आयताकारः लम्बाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4
2. गहराईः 1.0 से 2.5 मी. के बीच
3. दो कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
4. तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
5. मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
6. निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल) (मी0)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर–
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोतः सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल–भाग-ए इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुयें है–

1. **अवसादन (सेडीमेंटेशन)**– निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
2. फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिये।
3. फीकल स्लज और मल भण्डारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अन्तराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता 0.0002*365= 0.073 m3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
4. फ्रीबोर्डः कम से कम 0.3 मी0

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन–

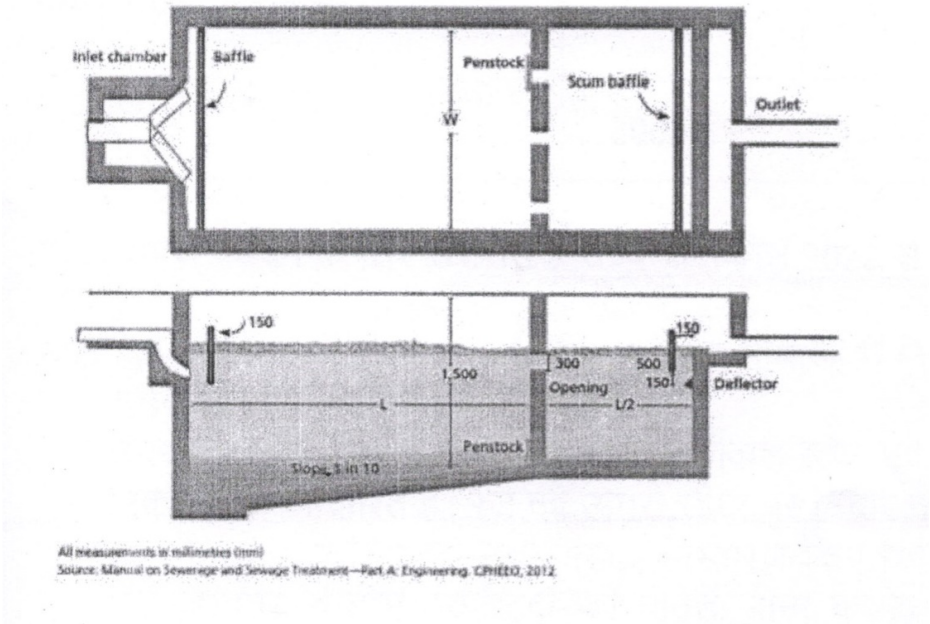

परिशिष्ट–2

(खण्ड 14 (I) और 5 (III) देखें)

नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)–

क्रम सं0	श्रेणी	धनराशि में शुल्क की सीमा
1	2	3
		प्रतिट्रिप–
1.	कच्चा घर/झोंपड़ी	200.00
2.	टिन शेड प्रकार का घर	800.00
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1,500.00
4.	प्रधानमंत्री आवास	400.00
5.	दुकान	2,000.00
6.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2,500.00

1	2	3
		प्रतिट्रिप–
7.	बैंक	2,500.00
8.	सामुदायिक शौचालय / सार्वजनिक शौचालय	1,000.00
9.	रेस्टोरेंट	3,000.00
10.	होटल / गेस्टहाउस (01 से 10 कमरे)	3,500
11.	होटल / गेस्टहाउस (11 से 20 कमरे)	4,000
12.	होटल / गेस्टहाउस (20 सेअधिक कमरे)	5,000
13.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	2,000
14.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	2,500
15.	3-स्टार होटल	3,500
16.	5-स्टार होटल	5,000
17.	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,500
18.	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	2,500
19.	निजी स्कूल / कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,500
20.	निजी स्कूल / कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,500
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,000
22.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,500
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	3,500
24.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	4,000
25.	मल्टीप्लेक्स	4,000
26.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	2,000
27.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	3,000
28.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	4,000
29.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	5,000
30.	विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल	4,000
31.	बार	4,000
32.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2,000
33.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	3,000
34.	नर्सिंग होम / क्लीनिक (20 बेड तक)	2,000
35.	नर्सिंग होम / क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	3,000

1	2	3
		प्रतिट्रिप–
36.	पैथालॉजिकल लैब	1,500
37.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	3,000
38.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	4,000
39.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	5,000
40.	राइस मिल/अन्य मिल	3,000
41.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	4,000
42.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	5,000

स्रोत– सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट– 1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिये जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कण्डोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट–3

(खण्ड–7 (Vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिये

I– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

II– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

III– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

IV– सेफ्टी टॉर्च

V– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

VI– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

VII– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

VIII– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिये और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है

IX– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किटQ

X– गैस मॉनीटर

XI– हेड लैंप

XII– गाइड पाइप सेट

XIII– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

XIV– वेडर बूट

XV–एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

XVI– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

XVII– रेनकोट

परिशिष्ट–4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर निगम/नगर पालिका परिषद्.....

Registration from for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो

फॉर्म 1– निकाय नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री): .....

2– पताः.....

3– पंजीकृत कार्यालय का पताः.....

4– टेलीफोन नंबरः (कार्यालय).....

(मो0):..... ईमेल आईडीः.....

6–

12

स0 नं0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरो/टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
I						
II						
III						
IV						

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद.....

(रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)–

दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक–.....

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ Septic Tank Wasts (अंग्रेजी में) और **''मलकुण्ड अपशिष्ट''** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 9:00 AM से 6:00 PM तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–5

खण्ड 6 (V) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो

निकाय नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नामः (श्री/ सुश्री).....

2– पत्राचार का पताः.....

.....

3– निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबन्धन सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः.....

4– मान्यता..... से..... तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर (i)..... (ii).....

(iii)..... (iv).....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ Septic Tank Wasts (अंग्रेजी में) और **''मलकुण्ड अपशिष्ट''** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 9:00 AM से 6:00 PM तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट–6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाये रखने के लिए

दिनांकः.....समयः .....

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

1– नामः.....

2– पताः.....

.....

(क)– वार्ड संख्या .....(क)– टेलीफोन नं.....

II. रोकथाम

1– निर्माण का वर्ष .....

2– पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY).....

3– आउटलेट मौजूद (हां/नहीं).....

4– यदि हां, तो किससे जुड़ा हैः .....

5– रोकथाम के प्रकारः (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्विन पिट (पंक्तिबध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकारः नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III. कीचड़ साफ करना

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समयः .....

3– ट्रिप की लंबाई (किमी):.....

4– आने-जाने में समयः.....

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नामः.....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटरः.....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर **उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर**

परिशिष्ट–7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4– ''होस्ट यूएलबी'' पर उपलब्ध ''उपचार संयंत्र'' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, ''होस्ट यूएलबी'' (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत उपचार संयंत्र पर समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यूएलबी'' (होस्ट निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष ''एक्सवायजेड यूएलबी'' (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबन्ध–

1– यह कि ''प्रथम पक्ष'' दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक ''द्वितीय पक्ष'' की प्रशासनिक सीमाओं से उनके ''उपचार संयंत्र'' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2– ''प्रथम पक्ष'' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने ''उपचार संयंत्र'' पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि ''द्वितीय पक्ष'' समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष'' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 xxx देने के लिए सहमत है।

4– यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6– कि ''द्वितीय पक्ष'' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर ''द्वितीय पक्ष'' की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम नगर आयुक्त/
अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष नगर आयुक्त/
अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना रू0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रु0	
1.1	नाला/सडक़/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/ असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100–150	

1	2	3	4	5
			रु0	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1000–1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1000–1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित स्नस्स् प्रवाहित करना	27, 28, 33	5000–10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5000–10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1000–1500 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000–10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000–10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1500–2000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट–9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, अपीली प्राधिकार के पास

..... (पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नाम .....

2– आवेदक का पता .....

.....

3– नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नामः ..... पद .....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गईः .....

.....

5– अपील दायर करने की तारीखः .....

6– सूचना विवरण

क– संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

.....

ख– अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है) .....

.....

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान– ..... तिथि .....

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1–.....

2–.....

..... **यहाँ फाड़ें** .....

पावती

संख्या ..... तिथि .....

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .....

स्थानः ..... तिथि .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम)

(नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)

(नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम)

परिशिष्ट-10

(खण्ड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्यय न करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916

2– उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबन्धन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए दिशा निर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबन्धन रणनीति सह दिशा निर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

7– आईएसः 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो–

(क)– (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण।

(ख)– (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबन्धन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

(सरफराज आलम 'मंसूर'),
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
आजमगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत निघासन, लखीमपुर खीरी

27 अगस्त, 2025 ई0

सं0 496/न0पं0निघासन/दुकान उपविधि-2025/26–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के नगर पंचायत निघासन जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत "दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2025" प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओ पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत निघासन द्वारा बोर्ड दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 प्रस्ताव संख्या-02 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 को दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं हिदुस्तान में प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर अपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के प्रस्ताव संख्या-10 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

"दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2025"

1–शीर्षक–यह नियमावली नगर पंचायत, निघासन की "दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2025" कहलायेगी।

2–प्रकृति–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, निघासन की सीमा में प्रभावी होगी।

3–परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, निघासन के अधिशासी अधिकारी से है।

बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, निघासन के बोर्ड से है।

अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, निघासन के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी से है।

नगर पंचायत की सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

सम्पत्ति का तात्पर्य व्यावसायिक उपयोग हेतु निमित दुकानों से है।

4–दुकान निर्माण का उद्देश्य–दुकानों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना, नगर पंचायत की नई परिसम्पत्तियों का सृजन व नगर पंचायत की आय को बढ़ाना है। नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण नगर पंचायत में निहित भूमि पर ही किया जायेगा किसी निजी व्यक्ति की भूमि पर दुकानों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। दुकानों का निर्माण नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार निविदा आमंत्रित करके किया जायेगा नगर पंचायत की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5–धनराशि की व्यवस्था–नगर पंचायत द्वारा दुकानों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जायेगी–

धरोहर राशि दुकान की लागत मूल्य के बराबर जमा कराया जायेगा तथा दुकानों के निर्माण में होने वाले व्यय से की जायेगी जिसे प्रति दुकान के हिसाब से धनराशि निश्चित की जायेगी।

निकाय की पूर्णतः रिक्त भूमि पर दुकानों का निर्माण पूर्ण रूप से आवंटन से प्राप्त होने वाली धनराशि से कराया जायेगा।

6– आवंटन की प्रक्रिया–

दुकानों का पूर्ण स्वामित्व नगर पंचायत का होगा किसी भी प्रकार से किया गया आवंटन सिर्फ किरायेदार के रूप में किया गया आवंटन माना जायेगा।

न्यूतम किराया 500 रुपये प्रतिमाह रखा जायेगा, इसके ऊपर नीलामी के तहत बोली लगायी जायेगी अधिकतम प्रतिमाह किराया में बोली लगाने वाले को दुकान आंवटित की जायेगी।

किसी भी कारणवश निरस्त दुकानों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के तहत ही किया जायेगा।

7– नीलामी की प्रक्रिया व शर्तें–

उपलब्ध रिक्त दुकानों को दर्शाते हुए समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। बोली हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय से एक दिन पूर्व 25 हजार रुपये नकद धनराशि/डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। निश्चित धनराशि जमा कराने वाले व्यक्ति ही बोली की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगें। दुकानों की बोली (नीलामी) मासिक किराये के लिए ही करायी जायेगीं, अधिकतम बोली दाता को दुकान का अवांटन उसी दिन धरोहर राशि का 50 प्रतिशत जमा कर प्राप्त करनी होगी शेष 50 प्रतिशत की धनराशि 1 माह में जमा करने के उपरान्त कब्जा दिया जायेगा।

जिनकी दुकानें सम्बन्धित मार्केट में होगी वह व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा

एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

नीलामी की प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत, निघासन में निहित होगा।

किसी भी व्यक्ति को दुकान का संयुक्त रूप से आवंटन नहीं किया जायेगा।

निर्माणाधीन दुकानो के स्थानो पर पूर्व में खोखा आदि रखकर व्यवसाय जो विगत दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हे वरीयतानुसार दुकान आंवटित की जायेगी।

8–आवंटन अवधि–दुकानों का किराये पर आवंटन एक वर्ष के लिए किया जायेगा जिसे सामान्तया प्रति वर्ष आगे बढ़ाया जाता रहेगा प्रतिवर्ष नगर पंचायत व आवंटी व्यक्ति के बीच किराया अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बिना दुकानों का आवंटन निरस्त नहीं किया जायेगा।

9–आवंटन निरस्तीकरण–

अनाधिकृत निर्माण व दुकान में तोड़-फोड़ करने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

किराये की शर्तों का उल्लंघन तथा तीन माह से धनराशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेंगी।

कोई भी उप किरायेदार नहीं रखा जायेगा यदि किसी व्यक्ति/दुकानदार द्वारा स्वयं व्यवसाय न करके किरायेदार रखा जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवंटी व्यक्ति द्वारा दुकान की बिक्री व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों में जो दुकान में व्यवसाय कर रहा होगा दुकान को किराये पर अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए उसके नाम आवंटित कर दिया जायेगा। इस प्रकार की परिस्थितियों में सामान्य वरासत के सिद्धांत (एक से अधिक व्यक्तियों के नाम अंकित नहीं किये जायेंगे) लागू नहीं होंगे। आकस्मिक मृत्यु की दशा में पारिवारिक सहमति-पत्र परिवार के किसी एक सदस्य के नाम दुकान उसके नाम आंवटित कर दी जायेगी।

आवंटन निरस्त करने से पूर्व 30 दिन की लिखित नोटिस दी जायेगी तत्पश्चात् अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अध्यक्ष द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10– किराया निर्धारण–

किराये का निर्धारण नीलामी प्रक्रिया के तहत अधिकतम बोली दाता के माध्यम से किया जायेगा।

किराया मासिक आधार पर देय होगा।

किराये में प्रति तीन वर्ष पश्चात् दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जो अगले दस के गुणांक में मूल्यांकित की जायेगी।

किराये के अतिरिक्त जो भी कर शासन/निकाय द्वारा आरोपित किये जायेंगे उनका समय से भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जो किराये में सम्मिलित नहीं होगे।

11– दुकानों का संचालन व रख-रखाव–

दुकानों का स्वामित्व पूर्ण रूप से नगर पंचायत, निघासन का होगा।

आवंटी द्वारा दुकानों की डिजाइन में किसी भी प्रकार का बदलाव व निर्माण नहीं कराया जायेगा यदि आवंटी द्वारा ऐसा किया जाता है तो दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

यदि दुकानों में किसी भी प्रकार की मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है नगर पंचायत की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

छत पर स्वामित्व निकाय को होगा कोई भी आवंटी दुकान की छत पर दावा नहीं करेगा।

किरायेदार को राज्य सरकार जिला प्रशासन, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

बद्री प्रसाद मौर्य,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत निघासन,
खीरी।

कार्यालय नगर पंचायत खानपुर, बुलन्दशहर

29 मार्च, 2025 ई0

सं0 09/न0पं0 खानपुर/प्रकाशन–नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियो की सुविधाओ मे अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर मे वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 व धारा 298(1) व धारा 299 के अधीन ''नगर पंचायत खानपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' के सम्बन्ध मे उपविधियो को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या–09 दिनांक 13 जून, 2024 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियो की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 19 फरवरी 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या 05 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक 20 फरवरी 2025 के पृष्ठ संख्या 03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि मे जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियो की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

उपरोक्त स्थिति मे सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या –08 दिनांक 29 मार्च, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओ मे अभिवृद्धि हेतु 'नगर पंचायत खानपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने' संबंधी उपविधियो का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 मे प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद मे हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

1. (1) यह उपविधियाँ नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर की ''नगर पंचायत खानपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर क्षेत्र में प्रवृत होंगी,

(3) यह उपविधि 01.04.2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें – विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के चैयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4) ''अनुज्ञा'' का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त ''अनुज्ञा'' से है।

(5) ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(6) ''अनुज्ञा (लाइसेन्स) अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है,

(7) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत खानपुर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया हो,

(8) ''विज्ञापन/प्रचार'' से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर की सीमा में किसी भी माध्यम से किये जा रहे विज्ञापन/प्रचार से है जिसमें होर्डिंग, बैनर, कटआउट, लोकल टी0 वी0 के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यन्त्र से, पम्पलेट/पर्चे चाहें व दीवारो पर चिपकाये जायें अथवा किसी समाचार-पत्र में रखकर बंटवाये जाये, दीवार पेन्टिंग आदि से है परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल की सीमा में बोर्ड होर्डिंग दीवार पेन्टिंग लगा अपने प्रतिष्ठान का नाम आदि लिखना शामिल नही है परन्तु अपने कार्यस्थल की सीमा से बाहर यदि कोई बोर्ड/होर्डिंग आदि लगाया जायेगा तब वह इस परिभाषा में आयेगा,

(9) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– ऐसे शब्दो और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3. नगर पंचायत के द्वारा अपने क्षेत्र में विज्ञापन/प्रचार करने वाले व्यक्ति से विज्ञापन/प्रचार का शुल्क प्राप्त करेगी जो कि निम्न प्रकार लिया जायेगा–

(1) होर्डिग/कटआउट से विज्ञापन/प्रचार करने में	5/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एकमाह के लिये)
(2) बैनर से विज्ञापन/प्रचार करने की में	2/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एकमाह के लिये)
(3) ग्लोसाईन बोर्ड से विज्ञापन/प्रचार करने में	10/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(4) दीवार पेन्टिग से विज्ञापन/प्रचार करने मे	2/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(5) 2 वर्ग फुट या बड़े पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	500/–रू. प्रति सौ पोस्टर
(6) 2 फुट से कम पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	200/–रू. प्रति सौ पोस्टर
(7) समाचार-पत्र में पर्चे निकलवाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	100/–रू. प्रति हजार
(8) लोकल टी0वी0 पर स्लाईड लगाकर	विज्ञापन/प्रचार करने मे 500/–रू. (प्रतिमाह)
(9) ध्वनि विस्तारक यन्त्र से विज्ञापन/प्रचार करने में	100/–रू. प्रतिदिन

उपरोक्त दर नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा या प्राप्त शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी/चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(1) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य माध्यम से प्रचार/विज्ञापन किया जाता है तब उसका शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को होगा।

(2) उपरोक्त शुल्क केवल विज्ञापन/प्रचार का शुल्क है इसमें विज्ञापन/प्रचार सामग्री को निर्मित करने का कोई शुल्क नही है उक्त निर्माण का व्यय स्वयं पक्षकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

4. नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

5. ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्ही कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार ना होगा।

6. ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

7. ठेकेदार ठेके की राशि के 1/4 भाग को ठेका लेते समय ही नगर पंचायत में जमा करेगा तथा शेष 3/4 धनराशि तीन किश्तो में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी तक प्रत्येक स्थिति में जमा करेगा नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा।

8. ठेके की अन्य शर्ते नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9. ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) उपरोक्त विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूल नहीं करेगा।

10. ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

11. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी वसूली के लिये एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षो के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

12. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी निजि सम्पत्ति पर सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे।

13. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिससे मार्ग अवरूद्ध हो रहा हो अथवा आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो अथवा स्थल का सौन्दर्य खराब हो रहा हो।

14. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति पर भी विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिसपर आम जनता के द्वारा आपत्ति की जा रही हो।

15. ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसे किसी भी प्रचार/विज्ञापन की अनुमति नही देंगे जो कि भ्रामक, भड़कावे वाला अथवा अन्य किसी प्रकार से अनैतिक, अश्लील अथवा कानून के विरूद्ध हो।

16. ध्वनि प्रसारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन अनुमति केवल दिन के 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक ही दी जायेगी। परन्तु परीक्षा के दिनो मे अथवा ऐसे दिनो मे जिसमे इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन की अनुमति देना उचित ना हो न दी जायेगी।

17. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओ के प्रचार प्रसार के लिये किये गये विज्ञापन/प्रचार एवं ऐसे विज्ञापन/प्रचार जो किसी गुमशुदा की तलाश अथवा किसी सामाजिक उत्थान व समाज सेवा आदि के लिये बिना किसी लाभ के लिये किये जा रहे हो के लिये कोई शुल्क देय नही होगा।

18. नगर पंचायत के द्वारा छोडे गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम मे दिये गये प्रावधानो के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति मे नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

19. यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्ही उपबंधो अथवा इन उपनियमो द्वारा उन पर आरोपित किन्ही अपेक्षाओ अथवा आभारो का उल्ंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन मे हस्तक्षेप करता है या बांधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन 1000 रू0 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा मे उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जोकि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनो के लिये अंकन रू0 25.00 (पच्चीस रूपये) तक हो सकता है।

20. यह कि उक्त उपविधियो मे आवश्यक संसोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

21. उपरोक्त उपविधियो मे वर्णित नियमो के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियो के प्रभाव मे रहते हुऐ भी शासनादेश उपविधियो पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति मे शासनादेश मे दिये गये नियमो के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

इमरान,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, खानपुर,
बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धिमा यादव (RIDDHIMA YADAV) पुत्री सुरेंद्र यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है। मैने अपने पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम रिद्धिमा यादव (RIDDHIMA YADAV) से बदल कर भान्वी यादव (BHANVE YADAV) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्री को भान्वी यादव (BHANVE YADAV) पुत्री सुरेंद्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेंद्र यादव,
पता–17A/16B/3, गंगानगर,
राजापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरिहन्त प्रताप पुत्र श्री कैलाश कुमार कुशवाहा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4126 0294 3703 में उसका नाम अभिनव कुशवाहा पुत्र कैलाश कुमार कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अरिहन्त प्रताप पुत्र कैलाश कुमार कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कैलाश कुमार कुशवाहा,
पता–604 पुराना कटरा पीपल वाली गली,
नेतराम चौराहा इलाहाबाद कचेहरी,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हर्षित चौधरी पुत्र विनोद कुमार चौधरी है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3962 9624 8289 में मेरा नाम हिमांशु हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हर्षित चौधरी पुत्र विनोद कुमार चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हर्षित चौधरी,
निवासी ग्राम चकिया,
पो0 गांधीग्राम सगरवा, थाना खलीलाबाद,
जिला संतकबीर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव कौशिक (Aarav Kaushik) पुत्र हरिओम है जो कि उसके शेक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8661 1085 9075 में उसका नाम आरभ अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव कौशिक (Aarav Kaushik) पुत्र हरिओम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हरिओम पुत्र मिश्री लाल,
निवासी मौजीपुर, अलीगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या तिवारी पुत्री ब्रिजनाथ तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश

मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–7624 3177 5562 में उसका नाम छवी तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या तिवारी पुत्री ब्रिजनाथ तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ब्रिजनाथ तिवारी,
पुत्र स्व0 बद्रीनाथ तिवारी,
निवासी नन्दापुर, नन्दपुर, धरमपुर,
अयोध्या उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पुनीता यादव पुत्री संतोष कुमार यादव जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9092 6359 3167 में मेरा नाम सुनीता यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुनीता यादव पत्नी सुरेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुनीता यादव,
पत्नी सुरेन्द्र कुमार सिंह,
पता–991/28बी/187ए अल्लापुर,
शिवपुरी मार्ग, थाना–जार्जटाउन प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आलोक कुमार शुक्ला पुत्री राजेंद्र मोहन शुक्ला है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख पासपोर्ट एवं पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8839 8387 8022 में मेरा नाम राजेंद्र कुमार शुक्ला अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आलोक कुमार शुक्ला पुत्र राजेंद्र मोहन शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आलोक कुमार शुक्ला,
पुत्र राजेंद्र मोहन शुक्ला,
निवासी–2820, मास्टर कॉलोनी,
बड़ागांव गेट बाहर झांसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सेठ आयुष विजय पुत्र विजय सेठ है, जो कि मेरे आधार कार्ड सं0-7431 9236 2750 व पैन संख्या-BCEPV9636C तथा मेरे इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-M023561/2015) तथा मेरे स्नातक के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-1606410087/2020) में अंकित है।

त्रुटिवश तथा मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–5205142/2013) में मेरा नाम आयुष सेठ हो गया है जो कि गलत है।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सेठ आयुष विजय पुत्र विजय सेठ,
पता–गुदरी बाजार झाँसी,
झाँसी खास, झाँसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शान्ति देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद है जो मेरे निर्वाचन कार्ड सं0 यू0पी0/17/075/0246225 व खतौनी व आयुष्मान कार्ड और उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5544 7936 9309 में मेरा नाम बिटाना हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शान्ति देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शान्ति देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद,
ग्राम रूकनापुर पो0 क्योंटी,
बाटुलला, सीतापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष पाल पुत्र रवि पाल जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8318 8763 8493 में मेरे पुत्र का नाम चिरजीवी पाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र उपरोक्त को उसके सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रवि पाल पुत्र स्व0 हीरा पाल,
निवासी– 159 गढी कला लीडर रोड,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभ्युदय कुमार पाण्डेय पुत्र पुष्पेश पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3006 4025 6672 में उसका नाम अभ्युदय पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभ्युदय कुमार पाण्डेय पुत्र पुष्पेश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुष्पेश पाण्डेय पुत्र कैलाश नाथ पाण्डेय,
पता– ग्राम कैथी, पोस्ट गुरेरा,
जिला–चन्दौली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समर्थ पाण्डेय पुत्र प्रशांत पाण्डेय जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9290 8100 2175 में उसका नाम प्रांजल पाण्डेय हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समर्थ पाण्डेय पुत्र प्रशांत पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रशांत पाण्डेय
पुत्र स्व0 अभय कुमार पाण्डेय,
मोहल्ला बलुहा, पोस्ट व जिला बलरामपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पीयूष कुमार यादव पुत्र बाबू चन्द यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6732 0255 77758 में उसका नाम पीके यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पीयूष कुमार यादव पुत्र बाबू चन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बाबू चन्द यादव, पुत्र डंगर यादव,
निवासी साउथ कोटवा, हनुमानगंज,
फूलपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अधिराज यादव पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मरे आधार

कार्ड सं0–3885 8154 1464 में मेरा नाम मानव पुत्र जितेन्द्र कुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अधिराज यादव पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अधिराज यादव, पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार,
पता– आचार्य नगर, 22 ख्वाजा रोड,
इटावा उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अजय कुमार पुत्र श्री सोने लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6886 6157 2914 में मेरा नाम हरदत्त पुत्र सोने लाल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजय कुमार पुत्र श्री सोने लाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार, पुत्र श्री सोने लाल,
पता– ग्राम नगला हरनाथ, गींजा,
सैफई, जिला इटावा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षित कुमार पुत्र सुनील कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–7840 7600 8687 में उसका नाम अर्पित कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित कुमार पुत्र सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार पुत्र बृज लाल यादव,
निवासी–ग्राम बेलही बाग कोडरा साल,
एमापुर, जाटूपुर, तहसील–कुण्डा,
जिला–प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वेदिका सोनी (Veedikaa Soni) पुत्री रोशन सोनी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8193 0177 9669 में उसका नाम नैना सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वेदिका सोनी (Veedikaa Soni) पुत्री रोशन सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोशन सोनी पुत्र कृपा शंकर सोनी,
निवासी–8/440 गांधी नगर शुक्लागंज,
नेतुवा, गंगाघाट उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आकांक्षा यादव पुत्री अरूण कुमार यादव है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में (मार्कशीट, निर्वाचन कार्ड) में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7388 0845 9108 में मेरा नाम रनजना यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आकांक्षा यादव (Akanksha Yadav) पुत्री अरूण कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आकांक्षा यादव,
पता– ग्राम सिसवां पोस्ट व थाना मऊआईमा,
तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजकुंवर पत्नी स्व0 बाबू सिंह है। जो मेरे परिवार रजिस्टर नकल, पहचान पत्र (निर्वाचन कार्ड) तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6000 9809 2274 में मेरा नाम राज कुमारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजकुंवर पत्नी स्व0 बाबू सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजकुंवर पत्नी स्व0 बाबू सिंह,
ग्राम जोत, पोस्ट–जोत,
जिला कानपुर, देहात।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is SADVIK SINGH son of Rajesh Kumar which is mentioned in his educational records.

Due to mistake, my son's name has been mentioned as Shivam in his Aadhar Card Number-9740 1862 0040 which is wrong. In future my son will be given his correct name SADVIK SINGH son of Rajesh Kumar. Be known and recognized by the name of. It is hereby certified that the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Rajesh Kumar,
S/o Late Ramraj,
Village- Pyarepur Post- Lalanpur,
Tehsil-Madhuban, District Mau,
Uttar Pradesh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मेहर कौर (Meher Kaur) पुत्री रंजीत सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5701 4538 5979 में उसका नाम मनरीत कौर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मेहर कौर (Meher Kaur) पुत्री रंजीत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रंजीत सिंह, पुत्र सरदार सिंह,
निवासी मोहल्ला सरदार गली,
सरायंमीरा, कन्नौज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभयराज पुत्र शीतला प्रसाद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम अभयराज से बदलकर अरूण कुमार रख लिया हूँ। भविष्य में मेरे पुत्र को अरूण कुमार पुत्र शीतला प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शीतला प्रसाद पुत्र रामचरन ,
निवासी 51 झपरी, मधुपुर, राबर्टसगंज,
सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन यादव पुत्र विनोद यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5420 6165 3482 में उसका नाम

रिहानशु यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन यादव पुत्र विनोद यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद यादव पुत्र ह्रदयानन्द यादव,
ग्राम पोस्ट–विसुकिया, तहसील–बलिया,
जिला बलिया उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निधीश द्विवेदी पुत्र आलोक द्विवेदी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–8316 9383 8805 में उसका नाम अरनव द्विवेदी हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निधीश द्विवेदी पुत्र आलोक द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आलोक द्विवेदी,
मोहल्ला–कजरहवा का पोखरा,
तहसील सदर जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लालती देवी पत्नी कुंज बिहारी है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6742 3597 3876 में मेरा नाम लाल देवी पत्नी कुंज बिहारी बिंद हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लालती देवी पत्नी कुंज बिहारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लालती देवी,
पत्नी कुंज बिहारी,
निवासी ग्राम खुर्रमशाहपुर, पोस्ट-पिपरी,
तहसील–हण्डिया, जनपद–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शुद्ध एवं सही नाम भानु प्रताप पुत्र अयोध्या प्रसाद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4848 3261 1646 में मेरा नाम भोंदू सुत अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि अशुद्ध एवं गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भानु प्रताप पुत्र अयोध्या प्रसाद के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भानु प्रताप सुत अयोध्या प्रसाद,
ग्राम– पूरे विश्राम जेवई परगना रामपुर,
तहसील एवं थाना लालगंज,
जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धार्थ कुमार यादव (SIDDHARTHA KUMAR YADAV) पुत्र शशि कुमार यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–9789 8361 0670 में मेरा नाम (SIDDHARTH KUMAR YADAV) हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरा सही नाम (SIDDHARTHA KUMAR YADAV) पुत्र शशि कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिद्धार्थ कुमार यादव,
पुत्र शशि कुमार यादव,
निवासी– 12/14 महात्मा गॉधी मार्ग,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंजू सिंह (ANJU SINGH) पुत्री कृपा राम सिंह पत्नी श्री तरूण कुमार सिंह विसेन, जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक अभिलेख पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश में शेयर सर्टिफिकेट संख्या 57620497 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अंजू सिंह विसेन अंकित हो गया है जो कि गलत है। यह कि उपरोक्त दोनों नाम मेरे है भविष्य में मेरे सही नाम अंजू सिंह पुत्री कृपा राम सिंह पत्नी तरूण कुमार सिंह विसेन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अंजू सिंह,
पुत्री कृपा राम सिंह,
पत्नी श्री तरूण कुमार सिंह विसेन,
फ्लैट नं0–301 एल्डिको इलेंगंस विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का पाण्डेय (ANUSHKA PANDEY) पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (MR MAHENDRA KUMAR PANDEY) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–5704 9502 8204 में उसका नाम ऐश्वर्या पाण्डेय हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अनुष्का पाण्डेय (ANUSHKA PANDEY) पुत्री श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय (MR MAHENDRA KUMAR PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

महेन्द्र कुमार पाण्डेय,
पता– संकठा घाट त्रिमुहानी,
तहसील सदर जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम SUGREEWA PRASAD S/O AYODHYA PRASAD है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5094 6948 1185 में मेरा नाम SUGREEV PRASAD S/O AYODHYA PRASAD अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम SUGREEWA PRASAD S/O AYODHYA PRASAD के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुग्रीव प्रसाद,
पुत्र अयोध्या प्रसाद,
निवासी–ग्राम सरायदादन उपरहार,
पो0–मेण्डारा, सोरांव, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रिद्धी मिश्रा (SHRIDDHI MISHRA) पुत्री अशोक कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–3691 8404 2568 में उसका नाम सिद्धि मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रिद्धी मिश्रा (SHRIDDHI MISHRA) पुत्री अशोक कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार मिश्रा,
पता–66डी, शान्तीनगर, सरोजनीनगर,
कानपुर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9829 6629 6141 में उसका नाम अयान सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेखा देवी, पत्नी विनोद कुमार सिंह,
निवासिनी– ग्राम जाम, वि0ख0 धाता,
परगना धाता, तहसील खागा,
जनपद फतेहपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अमरजीत बाबा संरक्षक श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गडानन्द महराज जी है जो मेरे आधार कार्ड सं0–6872 0490 1509 में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैने अपना नाम अपने गुरू महराज जी के अनुसार डुबकीनंद महाराज रख लिया है। भविष्य में मुझे डुबकीनंद महाराज संरक्षक श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानन्द महाराज जी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमरजीत बाबा श्री परमहंस आश्रम,
शक्तेषगढ़, चुनार, मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दूधनाथ पुत्र राम परवान है जो मेरे आधार कार्ड सं0–6432 5418 6790 में अंकित है। सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त श्री परमहंस आश्रम के संतजनों द्वारा मेरा नाम दूधेश्वरा नन्द महाराज जी रखा गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे दूधेश्वरा नन्द महाराज जी संरक्षक श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानन्द महाराज जी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुधेश्वरा नन्द महाराज जी,
श्री परमहंस आश्रम शक्तेषगढ़,
चुनार, मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रामानन्द पुत्र बंशी यादव है जो मेरे आधार कार्ड सं0–4617 4555 8441 में अंकित है सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त श्री परमहंस आश्रम के संतजनों द्वारा मेरा नाम आनन्द महाराज जी रखा गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे आनन्द महाराज जी संरक्षक श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानन्द महाराज जी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आनन्द महाराज जी,
श्री परमहंस आश्रम शक्तेषगढ़,
चुनार, मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम समराजी देवी पत्नी रामदेव राम है। जो मेरे पेंशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है।

त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–8002 2425 2087 में मेरा नाम श्याम राजी अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम समराजी देवी पत्नी रामदेव राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

समराजी देवी पत्नी रामदेव राम,
निवासिनी श्रीकांतपुर, देव गांव,
आजमगढ़, लालगंज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम स्नेह लता गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता है। जो मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0–233831704 में मेरा नाम अंजू गुप्ता अंकित हो गया है, जो घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम स्नेह लता गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

स्नेह लता गुप्ता, पत्नी अजय गुप्ता,
निवासिनी– 219 सी01बी0 परदेवनपुर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 सुमन लता पुत्री शंकर लाल पत्नी अशोक कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7715 0833 4283 में मेरा नाम सुमन अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 सुमन लता पुत्री शंकर लाल पत्नी अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु0 सुमन लता पुत्री शंकर लाल,
पत्नी अशोक कुमार ,
निवासिनी– ग्वालटोली टिलिया फतेहगढ़,
फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s MATANGI MAHESH GRANITE 133/230 N Block Kidwai Nagar Kanpur Nagar का पंजीयन दिनांक 19 मार्च, 2024 पंजीकरण सं0 KAP/0017712 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 12 जनवरी, 2024 के अनुसार श्री अभय राज सिंह चन्देल व श्री अजय राज चन्देल साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 02 अगस्त, 2025 के अनुसार फर्म के पूर्व पार्टनर अजय राज चन्देल कि मृत्यु दिनांक 28 जुलाई, 2025 को हो चुकी है, और श्रीमती सुष्मिता मिश्रा पुत्री श्री इन्द्रेश निवासी 128/521 के ब्लाक किदवई नगर कानपुर नगर को दिनांक 02 अगस्त, 2025 से फर्म में बतौर साझीदार शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में श्री अभय राज सिंह चन्देल व श्रीमती सुष्मिता मिश्रा साझीदार है।

अभय राज सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s SUNSHINE INDIA INC, 7/41, Tilak Nagar, Kanpur का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि०सं०-K-11491 पर दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 30 मार्च, 2012 में भागीदारी में श्री सूरज नारायण गुप्ता, श्री शक्ति नारायण, श्री शशांक नारायण, श्री उदभव नारायण साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 15 फरवरी, 2024 के अनुसार साझीदारी में श्री श्रीमन नारायण को शामिल किया गया है

तथा पूर्व साझीदार श्री सूरज नारायण गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 11 फरवरी, 2024 को हो गया है। अब फर्म में श्री शक्ति नारायण, श्री शशांक नारायण, श्री उदभव नारायण, श्री श्रीमन नारायण साझीदार हैं।

शक्ति नारायण,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s BABA BUILDERS, Village & Post Katrauli Patti, Farrukhabad 209724 पत्रावली सं० FAR/0002921 दिनांक 16 मार्च, 2019 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 मार्च, 2019 के अनुसार श्री विजय प्रताप सिंह व श्री अंकुर द्विवेदी साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 20 अगस्त, 2025 के अनुसार पूर्व पार्टनर श्री अंकुर द्विवेदी पुत्र श्री परशुराम द्विवेदी निवासी ग्राम व पोस्ट राजीपुर कमलगंज फर्रुखाबाद ने अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है और श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री होरी लाल निवासी 126 ग्राम गगंहरा कला पोस्ट रेही लालगंज मिर्जापुर को फर्म में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में श्री विजय प्रताप सिंह व श्री दिनेश कुमार साझीदार है।

विजय प्रताप सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मे0 शिवाय कोल्ड स्टोरेज, अपोजिट केनरा बैंक, खंदौली जिला–अगरा 283126 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है।

यह कि दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से फर्म के भागीदार श्रीमती गीता सिंह पत्नी श्री सत्यवीर सिंह, श्री निष्कर्ष आर्य पुत्र श्री सत्यवीर सिंह, श्री समर्थ आर्य पुत्र श्री सत्यवीर सिंह निवासीगण–91 भावना एस्टेट, सिकन्दरा, रूनकता, आगरा, फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री शैलेश कुमार, श्रीमती प्रतिभा चौधरी तथा श्री लोकेश जुरैल भागीदार है।

शैलेश कुमार,
भागीदार,
मे0 शिवाय कोल्ड स्टोरेज,
अपोजिट केनरा बैंक, खंदौली जिला आगरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० श्री जी पायल, सी–22 इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट ए मथुरा के विघटन की सूचना इस प्रकार हैं –

यह है कि उपरोक्त साझेदारी फर्म के दोनों साझेदारों राखी गर्ग पत्नी श्री अम्बरीश गर्ग निवासी- कृष्ण कुन्ज, भरतपुर गेट, मथुरा (प्रथम पक्ष) तथा श्रीमती बीना नागपाल पत्नी श्री योगेन्द्र नागपाल निवासी-सी-35 कृष्णा नगर मथुरा (द्वितीय पक्ष) के द्वारा संचालित की जा रही थी किन्तु अपरिहार्य कारणवश व्यवसाय के संचालित न होने के कारण दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से भागीदारी फर्म विघटित कर दी गई है।

राखी गर्ग,
साझेदार,
मे0 श्री जी पायल,
सी–22 इण्डस्ट्रियल एरिया,साइट ए मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वास्ते – फर्म M/s JAI JAGDAMBA SHAKUNTALA CONSTRUCTIONS, House No- 36, Express Road, The Mall, Kanpur Nagar 208001 की साक्षीदारी डीड दिंनाक 23 अगस्त, 2018 को दिंनाक 31 मार्च, 2025 से विघटित कर दिया गया है।

फर्म के विघटन के समय साझीदारी की स्थिति निम्नवत है–

1- RAJAT JAISWAL S/O Sri Sanjay Jaiswal R/o Plot No- 4, Chandra Nagar, Opp- Raj

Ratan Showroom, Lalbanglow, Kanpur-208007 Party No- 1

2- UTKARSH JAISWAL S/O Sri Sanjay Jaiswal R/o 62/A, Chandra Nagar, Lalbanglow, Kanpur-208007 Party No- 2

3- AVANISH SHUKLA S/O Late Ramanand Shukla R/o Kachahari Road, Civil Lines, Husainabad, Jaunpur-222002 Party No-3

4- AVINASH SHUKLA S/O Late Ramanand Shukla R/o Village Ram Nagar, Jamaitha, Post Ahmadpur, Jaunpur-222180 Party No- 4

RAJAT JAISWAL,
साझीदार,
M/s JAI JAGDAMBA,
SHAKUNTALA CONSTRUCTIONS,
House No- 36, Express Road,
The Mall, Kanpur Nagar.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स अमर इण्टरप्राइजेज, 28ए/4ए, धर्मवीर मार्ग, सुलेम सराय, प्रयागराज में दिनांक 23 अगस्त, 2025 को दो नये भागीदार आशुतोष गुप्ता तथा आयुष गुप्ता को शामिल कर लिया गया है। अब फर्म में भागीदारो की कुल संख्या चार हो गई है तथा भागीदारी का अनुपात क्रमशः अमर नाथ गुप्ता का 52 प्रतिशत, गिरजा देवी का 04 प्रतिशत, आशुतोष गुप्ता का 22 प्रतिशत तथा आयुष गुप्ता का 22 प्रतिशत होगा ।

अमर नाथ गुप्ता,
भागीदार,
मेसर्स अमर इण्टरप्राइजेज,
28ए/4ए, धर्मवीर मार्ग,
सुलेम सराय, प्रयागराज।

सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-लक्ष्मी ट्रेडिंग, लालबाग, जिला-सीतापुर की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार श्री उमेश चन्द पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद, एवं श्रीमती सुशीला अग्रवाल पत्नी श्री उमेश चन्द थे, जिसमें दिनांक 18 अप्रैल, 2025 को फर्म की साझेदारी में पुरानी साझेदार श्रीमती सुशीला अग्रवाल का निधन हो गया है तथा नई साझेदारी विलेख 16 जुलाई, 2025 को बनाई गयी जिसमें श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री उमेश चन्द अग्रवाल फर्म की साझेदारी मे नये शामिल हो गये है। वर्तमान में क्रमशः श्री उमेश चन्द अग्रवाल एवं श्री अशीष अग्रवाल फर्म में साझेदार है।

उमेश चन्द अग्रवाल,
साझेदार,
लक्ष्मी ट्रेडिंग, जिला सीतापुर।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-मूसाराम भगवानदास, लालबाग, जिला-सीतापुर की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार श्री उमेश चन्द पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद, एवं श्रीमती सुशीला अग्रवाल पत्नी श्री उमेश चन्द थे, जिसमें दिनांक 18 अप्रैल, 2025 को फर्म की साझेदारी में पुरानी साझेदार श्रीमती सुशीला अग्रवाल का निधन हो गया है तथा नई साझेदारी विलेख 16 जुलाई, 2025 को बनाई गयी जिसमें श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री उमेश चन्द अग्रवाल फर्म की साझेदारी मे नये शामिल हो गये है। वर्तमान में क्रमशः श्री उमेश चन्द अग्रवाल एवं श्री आशीष अग्रवाल फर्म में साझेदार है।

उमेश चन्द अग्रवाल,
साझेदार,
मूसाराम भगवानदास, जिला सीतापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म सर्वश्री मेसर्स एस०आर० इण्टरप्राइजेज सराय काजीकादन, मियांपुर, पोस्ट-कचहरी, सदर, जौनपुर के सतत भागीदार श्री राम चन्द्र मिश्र पुत्र श्री कृष्णचन्द्र

मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर, जिला-जौनपुर तथा श्रीमती शीला मिश्रा पत्नी श्री रामचन्द्र मिश्र निवासी-ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर, जिला-जौनपुर एवं अंशुमान मिश्र पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर, जिला-जौनपुर थे। जिसमें से श्री रामचन्द्र मिश्र पुत्र श्री कृष्णचन्द्र मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर, जिला-जौनपुर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को रिटायर हो गये है। दिनांक 23 सितम्बर, 2025 से श्री रामचन्द्र मिश्र का उक्त फर्म से कोई हित नहीं रहेगा।

शीला मिश्रा,
भागीदार,
मेसर्स एस०आर० इण्टरप्राइजेज सराय,
काजीकादन, मियांपुर, पोस्ट-कचहरी,
सदर, जौनपुर।

सूचना

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म मेसर्स रचना कंस्ट्रक्शन, 114 उदयपुर खास राजेंद्र नगर बरेली मे दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को फर्म के एक भागीदार सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव दर्शन शर्मा निवासी 160 रेहपुरा चौधरी बसंत विहार इज्जतनगर बरेली उक्त फर्म से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को सेवानिवृत हो गए है एवं अब उनके स्थान पर दो नवीन भागीदार राजेश मिश्रा पुत्र श्री बी. एन मिश्रा, 4/121, विशाल खंड, नियर जैन मंदिर, गोमतीनगर, लखनऊ और राजीव क्रिशन त्रिपाठी पुत्र श्री दया क्रिशन त्रिपाठी, सी–17/313, नियर परशुराम चौक, राजाजीपुरम, लखनऊ, उक्त फर्म में दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से प्रवेश किया है एवं उक्त फर्म से श्री सुरेन्द्र कुमार जी का सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया गया है और अब इनका इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है एवं फर्म में अब कुल 4 पार्टनर हैं 1. हर्षा अग्रवाल 2. श्री अम्रतांश अग्रवाल 3. श्री राजेश मिश्रा 4. राजीव क्रिशन त्रिपाठी है।

हर्षा अग्रवाल,
साझेदार,
रचना कंस्ट्रक्शन,
तह0 व जिला बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साई ओम पैकेजिंग्स पता एफ-66, सेक्टर-8, नोएडा, उ०प्र० की पाटनर्स शिप डीड दिनांक 01 दिसम्बर, 1995 को हुई थी, जिसके अनुसार इसमें तीन साझेदार 1. श्रीमती इन्दू बत्रा 2. श्री ओम प्रकाश बत्रा, 3. उमेश बत्रा थे फर्म में ओम प्रकाश बत्रा जी की दिनांक 16 जून, 2025 को मृत्यू हो होने का कारण पार्टनरशिप डीड, में संशोधित किया गया है। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 05 सितम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में अब दो साझेदार 1. श्रीमती इन्दू बत्रा व 2. उमेश बत्रा रहेंगे।

उमेश बत्रा,
साझेदार,
मेसर्स साई ओम पैकेजिंग्स,
पता एफ-66, सेक्टर-8, नोएडा, उ०प्र०

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Fiber Links, 192-B, Cooperative Industrial Estate, Dada Nagar, Kanpur & Office at: 19, Industrial Estate, Kanpur की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 18 जुलाई, 1995 को पंजीकरण सं० K-2804 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के अनुसार फर्म में श्री सुबोध प्रहलादका, वृन्दा प्रहलादका व श्रीमती मृदुला प्रहलादका साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझीदारी से पूर्व साझीदार श्री सुबोध प्रहलादका स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं और अब फर्म में श्रीमती मृदुला प्रहलादका व वृन्दा प्रहलादका भागीदार हैं।

श्रीमती मृदुला प्रहलादका,
M/s Fiber Links,
192-B, Cooperative Industrial Estate,
Dada Nagar, Kanpur & Office at: 19,
Industrial Estate, Kanpur.

सूचना

एतृत द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्सः- ए०बी० इन्टरप्राइजेज, बी-1/44, सेक्टर-जे, अलीगंज,

जिला-लखनऊ के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में दो साझेदार श्री अभिषेक कान्डवाल एवं श्री अभिषेक खन्ना थे जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2022 से फर्म का पता परिवर्तित होकर बी-134, सेक्टर-सी, महानगर, जिला–लखनऊ हो गया है तथा दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 03 नये साझेदार क्रमशः श्री अभिनव कान्डवाल, श्री अर्जुन कान्डवाल एवं श्री अपूर्व कान्डवाल शामिल हो गये है तथा दिनांक 01 मार्च, 2024 को 04 साझेदार श्री अभिनव कान्डवाल, श्री अर्जुन कान्डवाल, श्री अभिषेक कान्डवाल एवं श्री अपूर्व कान्डवाल फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से निकल गये है तथा इसी तिथी से श्रीमती पूजा खन्ना एवं श्री अशोक खन्ना फर्म मे शामिल हो गये है वर्तमान में श्री अभिषेक खन्ना, श्रीमती पूजा खन्ना एवं अशोक खन्ना फर्म में साझेदार है।

अभिषेक खन्ना,
साझेदार,
ए0बी0इन्टरप्राईजेज जिला लखनऊ।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक कोल्ड स्टोरेज एंड आईस फैक्ट्री पता नूरुद्दीन्पुर सलोन रायबरेली से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री शिवा कान्त ओझा एवं श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह साझेदार थे। दिनाँक 14 जनवरी, 2021 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री कुंवर चन्द्र प्रताप सिंह साझेदार के रूप में शामिल हो गये है वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्री शिवा कान्त ओझा श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह एवं श्री कुंवर चन्द्र प्रताप सिंह साझेदार हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

शिवाकान्त ओझा,
साझेदार,
मेसर्स सिद्धि विनायक कोल्ड स्टोरेज,
एंड आईस फैक्ट्री।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आस्था यादव (Aastha Yadav) पुत्री कल्पनाथ यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–6239 1980 2290 में उसका नाम कु चांदनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आस्था यादव पुत्री कल्पनाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कल्पनाथ यादव पुत्र सहदेव यादव,
निवासी– पूर्वी सहोदरपुर,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–26 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।